न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक : /2017 निगरानी R 490-PBR-17

(14)

श्री मनोज शर्मा अभि. उज्जैन उपा काल्प पर प्रस्तुत। 2-2-17

1–गणेश भारती पिता स्व0 शिवराज भारती 68 वर्ष धंधा– पुजन अर्चन निवासी–पानी की टंकी के पीछे इन्द्रानगर कालोनी उज्जैन

2–राजेन्द्र भारती पिता स्व0 शिवराज भारती आयु–55 वर्ष धंधा– पुजन अर्चन निवासी–52, एमआयजी इन्द्रानगर आगर रोड उज्जैन ––आवेदकगण

विरूद्ध

1(एक) मध्यप्रदेश शासन द्वारा –
श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन
कार्यालय कोठी पैलेस उज्जैन

2(दो) श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय,
अनुविभाग घटिया जिला उज्जैन म0प्र0

3(तीन) श्रीमान तहसीलदार महोदय,
तहसील घटिया जिला उज्जैन म0प्र0

–– अनावेदकगण

माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय उज्जैन के प्रकरण कमांक 114/2017 मे पारित आदेश दिनांक 19/1/2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत है ।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

माननीय महोदय

आवेदकगण की और से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है:–

1– यह कि श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर देव स्थान ग्राम भीतरी तहसील घटिया जिला उज्जैन मे स्थित है तथा उक्त देवस्थान पर आवेदक व उसके परिवार महंत के रूप मे तथा पुजारी के रूप मे वंश परम्परानुसार मंदिर के अन्दर गादी पर बैठते चले आ रहे है, तथा उक्त परम्परा वर्षो से अर्थात ग्वालियर रियासत के पूर्व से निरन्तर चली आ रही है उक्त परम्परा को तोडते हुए मंदिर के वर्तमान के तथाकथित अवैधानिक नियुक्ति प्रांप्त पुजारी दिप्तेश दुबे जो कि केवल मंदिर की आरती करने के लिये पुजारी के रूप मे शासन द्वारा नियुक्त किया गया था उसके

गोपाल भारती / आगम

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(6)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 490/PBR/17 जिला - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.19	आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 114/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.1.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15-10-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	